



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235877
CG-DL-E-19052022-235877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944

No. 266]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2022

फा. सं. पीएफआरडीए/17/आरईएस/25 – पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 45 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015 के विनियम 6 के उप-विनियम 4 के निबंधनों के अनुरूप प्राधिकरण, एतद्वारा, पूर्व में राजपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के माध्यम से गठित पेंशन सलाहकार समिति को, इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित सलाहकार समिति होगी :-

1. उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
2. उप लेखा महानियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. निदेशक (लेखा), डाक विभाग, नई दिल्ली
4. निदेशक (वित्त/बजट), रक्षा वित्त, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
5. श्री गौरव शर्मा, उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
6. श्री रमेश चन्द्र पांडे, अनुभाग अधिकारी, वित्त स्थापना निदेशालय, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
7. मुख्य कार्यकारी- इन्डियन बैंक्स एसोसिएशन
8. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश सरकार
9. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास

10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
 11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक पेंशन फंड लिमिटेड
 12. मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, प्रोटियन ई गवर्नेस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)
 13. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
 14. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज़ ऑफ इंडिया
 15. डॉ. के.पी.कृष्णन, मानद अनुसंधान प्राध्यापक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)
 16. श्री धीरेन्द्र कुमार, संस्थापक और सीईओ, वैल्यू रिसर्च
 17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया
 18. अध्यक्ष – सीआईआई- नेशनल कमिटी ऑन इन्श्योरेंस एंड पेंशनस
- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे।

सुप्रतिम बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./84/2022-23]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2022

F. No. PFRDA/17/RES/25.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act 23 of 2013), and in terms of the sub regulation 4 of the regulation 6 of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015, the Authority hereby reconstitutes the Pension Advisory Committee constituted earlier vide Gazette Notification dated 16th September, 2020 with effect from the date of this notification. The reconstituted Pension Advisory Committee is as under:

1. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
2. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
3. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
4. Director (Fin/Budget), Defence Finance as representative of Ministry of Defence
5. Shri Gourav Sharma, Dy Commandant Border Security Force as representative of Ministry of Home Affairs
6. Shri Ramesh Chandra Pandey, Section Officer, Finance Establishment (FE) Directorate as representative of Ministry of Railways
7. Chief Executive-Indian Banks' Association
8. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh
9. Chairman, NPS Trust
10. Chief Executive Officer, LIC Pension Fund Ltd
11. Chief Executive Officer, Kotak Pension Fund Ltd
12. Managing Director & CEO, Protean eGov Technologies Ltd. (formerly NSDL e-Governance Infrastructure Ltd)

13. Director, National Institute of Bank Management, Pune
14. President, Institute of Actuaries of India
15. Dr. K.P. Krishnan, Honorary Research Professor, Centre for Policy Research (CPR)
16. Shri Dharendra Kumar, Founder & CEO, Value Research
17. Chief Executive Officer Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
18. Chairman – CII-National Committee on Insurance & Pensions

The Chairperson and the Members of the Authority shall be the ex officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./84/2022-23]